कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ-5 / 1211 / 2023 / 10-11 / 274 भोपाल, दिनांक 21 01 2025

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:— बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिवीजन, बैतूल को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/ 150074/2021)

संदर्भ:--आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 027/2023-BHO/ दिनांक 22.07.2024

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:—

....0....

project in continuum whereas the KML shows that the area for diversion is	प्रतिवेदन दक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 20.01.2025 वगत कराया है कि वन विभाग के साथ संयुक्त क्षण किया गया है एवं यह पाया गया कि सिर्फ गये patches को ही व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित गया है। रेलवे द्वारा अर्जित भूमि को प्रस्तावित
laying of third Railway line which is a linear project in continuum whereas the KML shows that the area for diversion is	वगत कराया है कि वन विभाग के साथ संयुक्त भण किया गया है एवं यह पाया गया कि सिर्फ गये patches को ही व्यपवर्तन हेत प्रस्तावित
proper justification with required documentary evidence w.rt. status of abandoned patches in between isolated polygons proposed for diversion as shown in the KML file for area in Hoshangabad and North Betul Forest Divisions. 2 2. In view of guideline dated 27/12/2023, compensatory afforestation shall be carried out on equivalent non-forest land or double revenue forest land (Chote Bade Ibad Ica).	सरकार के निर्देश दिनांक 17.12.2024 के ार दुगने बिगड़े वन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित किया गया है। प्रस्ताव में पूर्व से ही KML अपलोड किया गया है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें। संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

> (एच.एस. मोहन्ता) भोपाल, दिनांक 21/01/2025

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1211 / 2023 / 10-11 / 275 प्रतिलिपि:-

- 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बैतूल एवं नर्मदापुरम (होशंगाबाद) वृत्त, मध्यप्रदेश।
- 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) एवं उत्तर बैतूल, म.प्र
- 3. उप मुख्य अभियंता निर्माण मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश। । की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

Central Railway



No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the Deputy Chief Engineer Const Betul @ Nagpur Email: dycecbzu@gmail.com Dt: 20/01/2025

To, The DFO, Betul North (Territorial)

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/ MP/ RAIL/150074/2021).

Ref: 1. Your office letter no. /मा. चि. /7103/ Betul dt. 31/12/2024.

In connection with above subject EDS was raised by your office vide above referred letter dated 30/12/2024 for the clarification of point, No-1 by forwarding the letter No. F-5/1211/2022/10-11/6136 dated 30/12/2024 of APCCF land management Bhopal.

Regarding point, No-1 as originally it was raised by Regional office Bhopal vide letter No 6-MPR027/2023-BHO dated 22/07/2024 and forwarded by APCCF Bhopal vide letter F-5/1211/2022/10-11/3898 Bhopal dated 24/07/2024 was replied by this office letter No ET-NGP/3rd LINE / FOREST-9 dated 31/07/2024 with comment as under.

'For point no.01 the patches under Forest land were jointly inspected with Forest Department for its trueness and only the patches which are falling short in width to construct the 3rd Railway line were proposed for Diversion.

Forest land patches which are owned by Railway having sufficient width were omitted from the proposed Diversion KML. Hence the KML shows area of fragmented diversions.'

In view of the above statement it is requested that the reason for KML showing Area of diversion as fragmented patches has been already clarified and hence kindly serve the principle acceptance and grant the Stage-i clearance at the earliest please.

As such EDS has been closed for kind early favorable action please.

Copy to

1) APCCF land management Bhopal for kind information please.

2) DFO Narmadapuram for kind information please.

Aldin Willer Dy. CE (Const) Betul @ Nagpur